

(26) १११२/२०१९/२०  
७/५/२०१९  
१८८७ प.७

[प्रारूप 2 क.]

(नियम 4 देखिए)

## नाम निर्देशन पत्र

09 अर्जिता

लोक रामा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो नी लागू न हो उसे काट दें।

भाग - I

नाम्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अन्यथा द्वारा प्रयुक्त किया जाना है।

मेरे नाम 09 अर्जिता

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक रामा के निर्वाचन के लिए एक

अन्यथा के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अन्यथा का नाम राजेश कुमार

पिता/माता/पति का नाम

राजेश कुमार

इनका डाक पता ३०० + प०० - फरकिघा, थाना - वैद्यी, जिला - अर्जिता (किला)

इनका नाम 09 अर्जिता

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट रानीगंज

निर्वाचक नामांगली के नाम संख्या 228 में छाप

संख्या 249

पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम विनोद कुमार

है जो ०९ अर्जिता

संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट

रानीगंज

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की

निर्वाचक नामांगली के नाम

228

में छाप संख्या

260

पर प्रविष्ट है।

दिनांक ५/५/२०१४

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

## भाग - II

(मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा नहीं सबूत प्रदान किए गये अन्यथी द्वारा प्रयुक्त विधा जाने के लिए)

हम एवं द्वारा 09 अक्टूबर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक अन्यथी के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

अन्यथी का नाम राजेश कुमार पिता/आता/पति का नाम जगेश भट्ट  
 उसका डाक पता झाम-फरकिया, पोखरकिया, माना-कोशी  
जिसा-अचरिया  
 उसका नाम 09 अक्टूबर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रानीगंज

(में समाधिष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के बाग स. 228 में छठा

संख्या 249 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उल्लिखित है और हम इस नाम निर्देशन यी सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम संख्या	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र लाइन का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उक्त भाग संख्या में ज्ञाम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	47 रानीगंज	228	260	विनोद भट्ट	५१०६३०	5/4/14
2	47 रानीगंज	228	302	दुर्गीनाथका	५०८५१०३	5/4/14
3	47 रानीगंज	228	262	कुमोद का	५०८५१०४०३	5/4/14
4	47 रानीगंज	228	138	मोतीलालसराणी	५०८५१०९	5/4/2014
5	47 रानीगंज	228	299	विनेशनृष्टि	५०८५१०९२	5/4/14
6	47 रानीगंज	228	286	शुभेश कुमार	५०८५१०९३१	5/4/14
7	47 रानीगंज	228	224	अमेश का	५०८५१०९४	5/4/14
8	47 रानीगंज	228	321	गोपनीकुमार	५०८५१०९५	5/4/14
9	47 रानीगंज	228	210	अमरिनाथ	५०८५१०९६	5/4/14
10	47 रानीगंज	228	248	मुकेश कुमार	५०८५१०९७	5/4/14

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

## भाग - III

मैं भाषा/नाम || (जो लागू न हो उसे काट दे) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुगति देता हूँ तथा एवं द्वारा वह घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 46 शब्द की आयु पूर्ण कर ली है,  
निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में ..... दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो कि इस राज्य में एक गान्धीता प्राप्त राजनीतिक दल / राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आवश्यक प्रतीक मुझे आवंटित किया जाय।

या

(ii) कि वै, इस निर्वाचन में मारत किकास्ट मौर्छी दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो एक पंजीकृत गैर गान्धीता प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिगान्य क्रम में

(i) फलोद्धूरु चुक टोकी ..... (iii) ..... X

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/मर्ति के नाम की उपर अवित्त पर्तीनी ठिक्की में (भाषा का नाम) सही है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम ज्ञानकारी और विष्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अहित हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं सामान्य जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो .....  
राज्य के उस

उस राज्य में के ..... (क्षेत्र) ..... से संबंधित अनुरूचित

जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले "सामान्य निर्वाचन/इण्ड-निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

Rajesh Kumar

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक 05/4/2014

\* जामू तथा कञ्चीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप की दधा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

\* \* यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

\* \* \* यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/ जम्मू तथा कञ्चीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप की दधा में लागू नहीं होंगा

टिप्पणी : गान्धीता प्राप्त राजनीतिक दल, से तात्पर्य रांबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा गान्धीता प्राप्त राजनीतिक दल।

### भाग III – क

#### (अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

वया अभ्यर्थी –

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) में, या  
 (ii) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए  
 शिद्धदोष घहराया गया है; या

- (iii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो बर्बादी या उससे अधिक के कारावास से दण्डित किया गया है।

यदि उत्तर "हैं" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होगी।

- (i) गामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. ....
- (ii) पुलिस रेकर्ड जिला (ज़िले) ..... राज्य .....
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) तथा अपराध (अपराधों) का संकेत जिसके लिए उसे शिद्ध दोष घहराया गया था .....
- (iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखों) .....
- (v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को शिद्ध दोष घहराया था .....
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इग्निट करें तथा/या जुर्नने की रापि उपदर्शित .....
- (vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखों) .....
- (viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी/थीं .....
- (ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख .....
- (x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया .....
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीले) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाएँ) का निपटारा कर लिया गया है या वे/वह अभी लंबित हैं .....
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो  
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखों) .....
- (ख) गारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (पीछे प्रकृति) .....

हैं/नहीं

नहीं

दिनांक 05/04/2014  
स्थान 09 अररिघा

Rajesh Kumar  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

## भाग - IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

२६/८१८/२००१/२०

नाम निर्देशन पत्र की लक्ष संख्या  
०५०९२०१९ (तारीख) को ०१.४७ अप्रैल यह नाम निर्देशन पत्र गुड़ी मेरे कार्यालय ने  
 वजे को अन्यथा/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

१/३/५

दिनांक ०५.०९.२०१९

जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

सहायक सिपाही अधिकारी  
पुस्तकालय क्षेत्र  
०९-अररिया ससदाय क्षेत्र

## भाग - V

नाम निर्देशन पत्र रवीकार या अस्तीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विविध्य  
 मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है  
 और मैं निम्नलिखित रूप में विविध्य करता हूँ :-

दिनांक \_\_\_\_\_

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण) \_\_\_\_\_



SCOTT, ARARIA  
SCOTT, ARARIA

"प्ररूप 26" COURT FEE

खिए) Authorization No. 2614



14/11/2014  
14/11/2014

4927 092763

Application No. 3PL/2014

### Notary Araria

09 अररिया संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक सभा  
लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अन्यथा द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र



भाग-क

मैं राजेश कुमार \*\*पुत्र/मुत्री/पत्नी गणेश का आयु

46 वर्ष, जो बाय-फरकिमा, पोर-फरकिमा, आना-वौही, ज़िला-  
अररिया (विहार)

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अन्यथा हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा  
करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं-

(1) मैं भारत विकास मोर्चा (\*\*राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अन्यथा/

\*\* एक स्वतंत्र अन्यथा के रूप में लड़ रहा हूं।

(\*\*जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम 09 अररिया संसदीय क्षेत्र, विहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में

भाग सं. 228 के क्रम सं. 249 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलिफोन नं. 8084922798 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो  
तो) \_\_\_\_\_ है एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स

(अगर कोई हो) है \_\_\_\_\_ मृत्यु



(4) रथाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिधिति:

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रूपए में)
1.	स्वयं	WWPK 5287F	2014-15	2,05,079
2.	पति या पत्नी	शू.०२।	शू.०४।	शू.०४।
3.	आश्रित-1	शू.०५।	शू.०५।	शू.०५।
4.	आश्रित-2	शू.०५।	शू.०५।	शू.०५।
5.	आश्रित-3	शू.०५।	शू.०५।	शू.०५।

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यारे	शू.०५।
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शू.०५।
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आवेदन की तारीख	शू.०५।
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शू.०५।
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शू.०५।
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शू.०५।



(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है  
 {पूर्वोंवत्}

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	३०.५
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	३०.५
(ग)	पूर्वोंवत् आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	३०.५

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	३०.५
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	३०.५
(ग)	अधिरोपित दंड	३०.५
(ध)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथमि	३०.५

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और रथावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे—

टिप्पण 1— संयुक्त रखामित्य की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— कमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा समृद्धि ब्यौरे परिचय दिया जाने हैं।



टिप्पण 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4— यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5— रकम सहित और प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
(i)	हाथ में नकदी	₹ 5,000/-	₹ 5,000	₹ 5,000	₹ 5,000	₹ 5,000	
(ii)	बैंक खातों में जमा व्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के गास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	₹ 5,000/-	₹ 5,000	₹ 5,000	₹ 5,000	₹ 5,000	
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के व्यौरे और रकम	₹ 5,000/-	₹ 5,000	₹ 5,000	₹ 5,000	₹ 5,000	
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के व्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	₹ 5,000/-	₹ 5,000	₹ 5,000	₹ 5,000	₹ 5,000	
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अधिगम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	₹ 5,000/-	₹ 5,000	₹ 5,000	₹ 5,000	₹ 5,000	
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मैक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	टालूकाली 130-1178415 अप्र० 8,00,000/-			₹ 5,000	₹ 5,000	₹ 5,000
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के व्यौरे)	₹ 5,000/-	सोना-5 ग्राम 1,50,000/-	₹ 5,000/-	₹ 5,000	₹ 5,000	
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि संज्ञों/हित का मूल्य	₹ 5,000/-	₹ 5,000	₹ 5,000	₹ 5,000	₹ 5,000	
(ix)	सम्पूर्ण कुल मूल्य	₹ 25,000/-	₹ 25,000/-	₹ 25,000/-	₹ 25,000/-	₹ 25,000/-	




आ. रथावर आरितयों के ब्यारे

टिप्पण 1— संयुक्त स्थानित्य की रौमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आरितयों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	खर्च	पति या पत्नी	आधित-1	आधित-2	आधित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षक संख्यांक(संख्याएँ)	पैक्सिक	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	प्रारंभिक	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	हाँ	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	5,00,000/-	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
	क्या विरासत ने आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
	अनुमानित बाजार मूल्य	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ))	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे	शुभे



	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
	विकास संनिर्गण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोइ विनिधान	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याए)	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
	निर्भित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	हाँ	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
	विकास संनिर्गण आदि के माध्यम से भूमि पर कोइ विनिधान	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
(v)	अन्य (जोसे कि संपत्ति में हित)	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
(vi)	पूर्वोक्त (i) से(v) का कुल चालू बाजार मूल्य	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-

(8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोधों के बारे नीचे देता हूँ-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के बारों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्पर्य	पति-या पत्नी	आश्रिता-1	आश्रिता-2	आश्रिता-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	(पांच लाख) 500,000/- उलाहुवार्ड रानीगंज	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्ही अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य रकम, ऋण की प्रकृति	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-
	कोइ अन्य दायित्व	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-	मृत्यु-



	दायित्वों का कुल योग	58,000	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे
(i)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे
	आय-कर शोध्य	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे
	घनकर शोध्य	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे
	सेवाकर शोध्य	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे
	विक्रयकर शोध्य	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे
	कोई अन्य शोध्य	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे	पैसे

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं रघु

(ख) पति या पत्नी श्रुति

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीच दिये अनुसार है:-

मैस्टर्स पास

माँ काली उच्चाधिकार प्रधनती प्राप्तिः १५-१९९२

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का लिया दें)




भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में लिए गये व्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमा राजेश कुमार			
2	डाक का पता	ग्राम- फरकिया, पो. ०- फरकिया जानी - बैंधी, जि०- अररिया (काशी)			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	४७ अररिया • राज्य= बिहार			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	मारत विकास मीर्ची			
5	(i) ऐसे लघित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप घिरवित किए गए हैं	शून्य			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर गद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शून्य			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और बंदित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमन्त्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के रिवाए)	शून्य			
7		..... का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	४,८०८५ ५२८७	२०१५-१६	२,०५०२९	
	(ख) पति या पत्नी	४१०८	४१०८	४१०८	
	(क) आश्रित	४१०८	४१०८	४१०८	
8	आस्तियों और दायित्वों के व्यौरे (रुपये में)	२,०५०२९			
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	४,२५०००			आश्रित-3
ख	स्थावर आस्तियां	मोटे रुपये ३१०५५५०८० ६८५-५,०००००	४१०८	४१०८	४१०८



	I. स्वअर्जित रथावर संपत्ति की क्रय कीमत	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	II. क्रय के पश्चात् रथावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	III. निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	(क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)					
9	दायित्व					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	50,000	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
11	उच्चतम शैक्षिक अहंता:	वैद्युत पाठ				
		नाम काला ३०१९८० मध्यवाला शुल्क।				
		५५ - १९९२				
		(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यारे दें।)				





Notary Araria

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अगिराक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-वरतु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्पर्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि:-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मानला या लंबित मामले Authorised by बोझसिद्धि का मानला या लंबित मामला नहीं है; evidence Act (Act 1 of 1872) 1872  
with S. 5 (e) of the Notaries  
Act (Act 1 of 1952) और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज, तारीख 95/04/2014 को सत्यापित किया गया।

~~✓ I do solemnly affirm  
that I have identified  
the above person  
as a Notary Public  
and declare before me  
on my honor that  
he is a Notary Public  
and has the power  
to administer oaths  
and affirmations.~~

Identified by  
Birendra Kumar / Rakesh Kumar  
Advocate  
5/4/14

अगिराक्षी

Ranjan Kumar Verma शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना  
NOTARY  
ARARIA (BIHAR)

टिप्पण: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथारित शून्य या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण: 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रत्युत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसो रूप में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।



टिप्पणी: 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं..... 8084922798

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है..... 8204

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... 8204



*R.K.Verma  
05/04/2014*  
RANJAN KR. VERMA  
NOTARY  
ARARIA B.HAR (INDIA)